

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE



एडीजीसी विवेक
सिंह राठौर



पैरोकार हे० का०
अनुज कुमार शुक्ला

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा आजीवन सश्रम कारावास तथा 10000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी जब्बार द्वारा दिनांक 13.04.2018 को समय 12.58 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा वादी की पत्नी तथा पुत्री को पेट्रोल डालकर जला देने पर मु०अ०सं० 51/2018 धारा 147, 149, 302, 34, 120बी भादवि थाना फुरसतगंज पर पंजीकृत कराया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय रायबरेली में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 30.05.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे-1 रायबरेली द्वारा अभियुक्त को **आजीवन सश्रम कारावास तथा 10000 रु अर्थदण्ड की** सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- ☐ अभियुक्त को **आजीवन सश्रम कारावास**।
- ☐ अभियुक्त को **10,000 रुपये अर्थदण्ड**, अर्थदण्ड न अदा करने पर **02 वर्ष अतिरिक्त कारावास**।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सिद्दीकी पुत्र मो० रजा निवासी सूबेदार मजरे खैरहना थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी।



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल
अमेठी